



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—2, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, सोमवार, 10 जुलाई, 2023

आषाढ़ 19, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग—1

संख्या 244 / 79-वि-1-2023-2-क-14-2023

लखनऊ, 10 जुलाई, 2023

अधिसूचना

विविध

भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज (संशोधन), अध्यादेश, 2023 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 11 सन् 2023) जिससे न्याय अनुभाग—2 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, प्रख्यापित किया गया है, जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज (संशोधन), अध्यादेश, 2023

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 11 सन् 2023)

[भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज, अधिनियम, 2020 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अध्यादेश

चूंकि राज्य विधानमण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उनके लिये तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करती हैं:-

1—यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज (संशोधन), संक्षिप्त नाम अध्यादेश, 2023 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश
अधिनियम संख्या-26
सन् 2020 का
सामान्य संशोधन

2-उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज, अधिनियम, 2020 में,
शीर्षकों, उद्देशिका, संक्षिप्त नाम, दीर्घ नाम सहित शब्द 'उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि
विश्वविद्यालय, प्रयागराज', जहां कही आये हों, के स्थान पर शब्द "डा० राजन्द्र प्रसाद
राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज" रख दिये जायेंगे।

आनंदीबेन पटेल
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 244(2)/LXXIX-V-1-2023-2-ka-14-2023

Dated Lucknow, July 10, 2023

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rashtriya Vidhi Vishwavidyalaya, Prayagraj (Sanshodhan), Adhyadesha, 2023 (Uttar Pradesh Adhyadesha Sankhya 11 of 2023) promulgated by the Governor. The Nyaya Anubhag-2 is administratively concerned with the said Ordinance.

THE UTTAR PRADESH NATIONAL LAW UNIVERSITY, PRAYAGRAJ
(AMENDMENT), ORDINANCE, 2023
(U.P. ORDINANCE NO. 11 OF 2023)

[Promulgated by the Governor in the Seventy-fourth Year of the Republic of India]

AN
ORDINANCE

further to amend the Uttar Pradesh National Law University, Prayagraj Act, 2020.

WHEREAS the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance :-

Short title

1. This Ordinance may be called the Uttar Pradesh National Law University, Prayagraj (Amendment), Ordinance, 2023.

General Amendment
of U.P Act no. 26 of
2020

2. In the Uttar Pradesh National Law University, Prayagraj Act, 2020 *for* the words "Uttar Pradesh National Law University, Prayagraj", wherever occurring including the headings, preamble, short title, long title, the words "Dr. Rajendra Prasad National Law University, Prayagraj" shall be *substituted*.

ANANDIBEN PATEL
Governor,
Uttar Pradesh.

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०य०पी०-ए०पी० 440 राजपत्र-2023-(1435)-599 प्रतियां (कम्यूटर/टी०/ऑफसेट)।
पी०एस०य०पी०-ए०पी० 10 सा० विधायी-2023-(1436)-300 प्रतियां (कम्यूटर/टी०/ऑफसेट)।